REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082022-238247 CG-DL-E-22082022-238247

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3722]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2022/श्रावण 31, 1944
No. 3722]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2022/SHRAVANA 31, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2022

का.आ. 3896(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन,सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365 (अ) तारीख 13 दिसंबर, 2004 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

(i) स्तंभ (4) के अधीन, क्रम संख्यांक 8 में,"21 सितंबर, 2022" शब्द और अंकों जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "22 जुन, 2023" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) स्तंभ (4) के अधीन, क्रम संख्यांक 43 में,"21 सितंबर, 2022" शब्द और अंकों, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "22 जून, 2023" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) सारणी क के स्तंभ (4) के अधीन, क्रम सख्यांक 6 में,"21 सितंबर, 2022" शब्द और अंकों के स्थान पर "22 जून, 2023" अंक और शब्द रखे जाएंगे; (ग) सारणी ख ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के लिए सुरक्षा मानक के क्रम संख्यांक 2, में "21 सितंबर, 2022" शब्द और अंकों, जहां कहीं भी वे आते हैं के स्थान पर "22 जून, 2023" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11036/17/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ. 359(अ), तारीख 27 जनवरी, 2022 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2022

S.O. 3896(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.1365(E), dated the 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely: -

2. In the said notification, -

(a) in the Table,-

(i)against serial number 8, under column (4), for the figures, letters and word "21st September,2022", wherever they occur, the figures, letters and word "22nd June, 2023" shall be substituted;

(ii) against serial number 43, under column (4), for the figures, letters and word "21st September,2022", wherever they occur, the figures, letters and word "22nd June, 2023" shall be substituted;

(b) in Table A, against serial number 6, under column (4), for the figures, letters and word "21st September,2022", the figures, letters and word "22nd June, 2023" shall be substituted;

(c) in Table B Safety Standards for E-rickshaws and E-carts, against serial number 2,under column (4),for the figures, letters and word "21st September,2022", wherever they occur, the figures, letters and word "22nd June, 2023" shall be substituted.

[F. No. RT-11036/17/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004 and lastly amended *vide* notification number S.O. 359(E), dated the 27th January, 2022.